संख्या–74 / XXVII(7) / 2009

प्रेषक,

आलोक कुमार जैन,
प्रमुख सचिव वित्त,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

सचिव,
विद्यालयी शिक्षा,
उत्तराखण्ड शासन।

वित्त (वे0आ0–सा0नि0)अनुभाग–7 देहरादूनः दिनांकः 1 मार्च, 2009

विषयः– छठवें केन्द्रीय वेतन आयोग की संस्तुतियों के क्रम में प्रदेश के शिक्षा विभाग की प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षण संस्थाओं के शैक्षणिक पदों के दिनांक 1–1–2006 से स्वीकृत प्रतिस्थापित वेतनमान (रिप्लेसमेंट स्केल) का उच्चीकरण।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वेतन समिति, (2008) के प्रथम एवं द्वितीय प्रतिवेदन में की गयी संस्तुतियों पर लिये गये निर्णयानुसार विभिन्न विभागों के राजकीय एवं सहायता प्राप्त शिक्षण / प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं के शिक्षकों (यू0जी0सी0, ए0आई0सी0टी0ई0 तथा आई0सी0ए0आर0 के वेतनमान से आच्छादित पदों को छोड़कर) एवं सहायता प्राप्त शिक्षण / प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं के शिक्षणेत्तर कर्मचारियों को दिनांक 1 जनवरी, 2006 से पुनरीक्षित वेतन संरचना में वेतन बैण्ड एवं ग्रेड वेतन की स्वीकृत क्रमशः शासनादेश संख्या–395 / XXVII(7) / 2008 दिनांक 17 अक्टूबर, 2008 एवं शासनादेश संख्या–25 / XXVII(7) / 2009 दिनांक 13 फरवरी, 2009 के द्वारा की गयी है।

2–वेतन समिति (2008) ने अपने चतुर्थ प्रतिवेदन में केन्द्र सरकार के शिक्षकों की भाँति राज्य सरकार के शिक्षकों को भी उच्चीकृत वेतनमान दिनांक 1–4–2009 से स्वीकृत किये जाने की संस्तुति की है। वेतन समिति की संस्तुतियों पर लिये गये निर्णय के क्रम में राज्यपाल महोदय, शिक्षा विभाग के राजकीय एवं सहायता प्राप्त प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षण संस्थाओं के शिक्षकों के साधारण वेतनमान, चयन वेतनमान एवं प्रोन्नत वेतनमान को केन्द्र सरकार के शिक्षकों के समान क्रमशः ग्रेड–3, ग्रेड–2 एवं ग्रेड–1 के श्रेणी में वर्गीकृत करते हुए संलग्न तालिका के स्तम्भ–3 में उल्लिखित वर्तमान वेतनमान के स्थान पर कालम–4 में उल्लिखित वेतनमान के सादृश्य कालम–5 एवं 6 में क्रमशः उल्लिखित वेतन बैण्ड एवं ग्रेड वेतन दिनांक 1 जनवरी, 2006 से प्राकल्पित आधार पर निम्नलिखित शर्तों के अधीन उच्चीकृत करते हुए वास्तविक लाभ दिनांक 1–4–2009 से दिये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:–

(1) नियमित रूप से एक निश्चित समय अन्तराल में शिक्षकों की दक्षता एवं कार्यकुशलता का आंकलन किया जाना चाहिए तथा उच्चतर वेतनमान देते समय आंकलन के परिणामों को दृष्टिगत रखा जाना चाहिए। राज्य शैक्षिक अनुसंधान परिषद / राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान परिषद / प्रथम अथवा ऐसी ही

किसी संस्था से प्रशिक्षण एवं क्षमता वृद्धि के कार्यक्रम तैयार कराये जाने चाहिए एवं कार्यकुशलता के आंकलन हेतु मानक निर्धारित किये जाने चाहिए। Achievement व Output समरूप नहीं हैं अतः Incentive/Disincentive के मानक निर्धारित किये जायें।

(2) शासकीय, सहायता प्राप्त अशासकीय, केन्द्रीय व नवोदय विद्यालयों के गत तीन वर्षों के दसवीं व बारहवीं कक्षा के बोर्ड परीक्षा के परिणामों का तुलनात्मक अध्ययन कर राज्य के राजकीय/सहायता प्राप्त विद्यालयों की ग्रेडिंग की जाये तथा सम्बन्धित शिक्षकों की कार्यकुशलता का आकलन किया जाये।

(3) शिक्षकों को अन्य कर्मचारियों की तुलना में उच्चतर वेतनमान संस्तुत किये जा रहे हैं, कदाचित यह राज्य को शिक्षा हब (Education Hub) बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम हो सके।

(4) शिक्षा विभाग में शैक्षिक एवं प्रशासनिक संवर्ग अलग–अलग गठित किये जाने चाहिए तथा शैक्षिक संवर्ग के शिक्षकों को प्रशासनिक संवर्ग में तैनात नहीं किया जाना चाहिए ताकि अनुभवी एवं योग्य अध्यापक अध्यापन कार्य संचालित करते रहें एवं राज्य सेवा से सीधी भर्ती द्वारा आने वाले अधिकारियों को प्रशासनिक कार्य में लगाया जाये। इन दोनों संवर्गो की संवर्गीय नियंत्रण की व्यवस्था अलग–अलग की जानी चाहिए।

(5) संविधान के तिहत्तरवें व चौहत्तरवें संशोधन द्वारा लोकतांत्रिक व्यवस्था को निचले स्तर पर पहुँचाया गया है एवं व्यवस्थाओं में जन सहभागिता बढाई गयी है। समिति का मत है कि शिक्षकों के कार्यो के मूल्यांकन हेतु यथा आवश्यक ग्राम पंचायत/क्षेत्र पंचायत/जिला पंचायत का सहयोग लिया जाना चाहिए। इस मूल्यांकन में खरे न उतरने वाले शिक्षकों के विरूद्ध दण्डात्मक कार्यवाही होने चाहिए। यदि अशासकीय विद्यालयों का प्रबन्ध तंत्र कार्यवाही न करे तो उनका वित्त पोषण समाप्त किया जाना चाहिए तथा मान्यता भी समाप्त की जानी चाहिए।

(6) प्रथमतः अध्यापकों का स्थानान्तरण सामान्यतः नहीं होना चाहिए। प्राथमिक तथा जूनियर हाईस्कूल के अध्यापकों के लिए जनपदीय संवर्ग होना चाहिए तथा उनके स्थानान्तरण जनपद में ही होने चाहिए। माध्यमिक तथा हाई स्कूल के अध्यापकों की नियुक्ति भले ही प्रदेश स्तर पर हो किन्तु स्थानान्तरण यथा संभव जनपद के अन्तर्गत ही किया जाना चाहिए।

3–प्राकल्पित आधार पर उच्चीकृत किये गये वेतनमान के ऐरियर का भुगतान नहीं किया जाएगा। उच्चीकृत वेतनमान के भुगतान की प्रकिया समदिनांकित शासनादेश संख्या–25/XXVII(7)/2009 तथा

संख्या–27/XXVII(7)/2009 दिनांक 13 फरवरी, 2009 के अनुसार रहेगी।

4–उपरोक्तानुसार उच्चीकृत किये गये वेतनमानों में वेतन का निर्धारण शासनादेश संख्या–395/XXVII(7)/2008 दिनांक 17 अक्टूबर, 2008, एवं समदिनांकित शासनादेश संख्या–25/XXVII(7)/2009 तथा संख्या–27/XXVII(7)/2009 दिनांक 13 फरवरी, 2009 के अनुसार किया जाएगा। लेकिन रु0 8000–13,500 के अपुनरीक्षित वेतनमान का दिनांक 1–1–2006 से वेतन बैण्ड–2 में पुनरीक्षित वेतन बैण्ड तथा ग्रेड पे का निर्धारण संलग्नक–2 के अनुसार किया जाएगा। यदि संलग्नक–2 में उल्लिखित रु0 8000–13,500 के अपुनिरीक्षित वेतनमान की अनुमन्यता के पदधारकों का वेतन पुनरीक्षण वेतन बैण्ड–3 में किया गया हो, तब उनका वेतन निर्धारण संलग्नक–2 की फिटमेन्ट तालिका अनुसार किया जाना सुनिश्चित किया जाएगा।

संलग्नक–उपरोक्तानुसार

भवदीय,

(आलोक कुमार जैन)
प्रमुख सचिव

संख्या– 74 (1)/XXVII(7)/2009, तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– महालेखाकार, उत्तराखण्ड देहरादून।
2– निदेशक, विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड देहरादून।
3– निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवायें सह स्टेट इण्टरनल ऑडिटर उत्तराखण्ड देहरादून।
4– समस्त कोषागार अधिकारी उत्तराखण्ड।
5– वरिष्ठ तकनीकी निदेशक, एन0आई0सी0 देहरादून।
6– गार्ड फाईल ।

आज्ञा से,

(टी0एन0सिंह)
अपर सचिव।

शासनादेश संख्या-74 / XXVII(7)/2009 का संलग्नक-1

क0 सं0	अध्यापक	वर्तमान वेतनमान / ग्रेड	उच्चीकृत वेतनमान / ग्रेड	सादृश्य वेतन बैण्ड	सादृश्य ग्रेड वेतन
1	2	3	4	5	6
1	बेसिक शिक्षा प्राथमिक शिक्षक				
	(क) साधारण वेतनमान	4500-7000	ग्रेड-III 6500-10500	वेतन बैण्ड-2	4200
	(ख) चयन वेतनमान	5000-8000	ग्रेड-II 7450-11500	वेतन बैण्ड-2	4600
	(ग) प्रोन्नत वेतनमान	5500-9000	ग्रेड-I 7500-12000	वेतन बैण्ड-2	4800
2	प्रधानाध्यापक प्राइमरी / अध्यापक उच्च प्राथमिक				
	(क)साधारण वेतनमान	5500-9000	ग्रेड-III 7450-11500	वेतन बैण्ड-2	4600
	(ख)चयन वेतनमान	6500-10500	ग्रेड-II 7500-12500	वेतन बैण्ड-2	4800
	(ग) प्रोन्नत वेतनमान	7500-12000	ग्रेड-I 8000-13500	वेतन बैण्ड-2	5400
3	प्रधानाध्यापक उच्च प्राथमिक				
	(क)साधारण वेतनमान	6500-10500	ग्रेड-III 7500-12500	वेतन बैण्ड-2	4800
	(ख)चयन वेतनमान	7500-12000	ग्रेड-II 8000-13500	वेतन बैण्ड-3	5400
	(ग) प्रोन्नत वेतनमान	8000-13500	ग्रेड-I 10000-15200	वेतन बैण्ड-3	6600
4	माध्यमिक शिक्षा 1-एल0टी0शिक्षक				
	(क)साधारण वेतनमान	5500-9000	ग्रेड-III 7450-11500	वेतन बैण्ड-2	4600
	(ख)चयन वेतनमान	6500-10500	ग्रेड-II 7500-12000	वेतन बैण्ड-2	4800
	(ग)प्रोन्नत वेतनमान	7500-12000	ग्रेड-I 8000-13500	वेतन बैण्ड-2	5400

5	2–प्रवक्ता				
	(क)साधारण वेतनमान	6500–10500	ग्रेड–III 7500–12000	वेतन बैण्ड–2	4800
	(ख)चयन वेतनमान	7500–12000	ग्रेड–II 8000–13500	वेतन बैण्ड–3	5400
	(ग)प्रोन्नत वेतनमान	8000–13500	ग्रेड–I 10000–15200	वेतन बैण्ड–3	6600
6	3–प्रधानाध्यापक हाई स्कूल				
	(क)साधारण वेतनमान	7500–12000	ग्रेड–II 8000–13500	वेतन बैण्ड–3	5400
	(ख)चयन वेतनमान	8000–13500	ग्रेड–II 10000–15200	वेतन बैण्ड–3	6600
7	4–प्रधानाचार्य	10000–15200	12000–16500	वेतन बैण्ड–3	7600

शासनादेश संख्याः 74 /XXVIII(7)/2009 का संलग्नक-2-

Pre-revised scale
Rs.8000-275-13500

Revised Pay Band + Grade Pay
PB-2 Rs.9300-34800 + Rs.5400

Pre-revised Basic Pay	Revised Pay		
	Pay in the Pay Band	Grade Pay	Revised Basic Pay
8,000	14,880	5,400	20,280
8,275	15,400	5,400	20,800
8,550	15,910	5,400	21,310
8,825	16,420	5,400	21,820
9,100	16,930	5,400	22,330
9,375	17,440	5,400	22,840
9,650	17,950	5,400	23,350
9,925	18,470	5,400	23,870
10,200	18,980	5,400	24,380
10,475	19,490	5,400	24,890
10,750	20,000	5,400	25,400
11,025	20,510	5,400	25,910
11,300	21,020	5,400	26,420
11,575	21,530	5,400	26,930
11,850	22,050	5,400	27,450
12,125	22,560	5,400	27,960
12,400	23,070	5,400	28,470
12,675	23,580	5,400	28,980
12,950	24,090	5,400	29,490
13,225	24,600	5,400	30,000
13,500	25,110	5,400	30,510
13,775	*25,630*	*5,400*	*31,030*
14,050	*26,140*	*5,400*	*31,540*
14,325	*26,650*	*5,400*	*32,050*